

सं. 13026/3/2012-स्था.(एल)

भारत सरकार

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

\*\*\*\*\*

पुराना जेएनयू परिसर, नई दिल्ली- 110067

दिनांक 09.03.2015

**कार्यालय जापन**

विषय:- सी सी एस (छुट्टी) नियमावली, 1972 में पदों के वर्गीकरण के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग की दिनांक 11.11.1975 की अधिसूचना सं. 21/2/75 - स्था.(घ) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है जिसमें वर्ग 'क', 'ख', 'ग', और 'घ' सरकारी पदों को श्रेणी 'I', 'II', 'III', और 'IV' के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है। साथ ही यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जहां कहां भी सीसीएस (छुट्टी) नियमावली, 1972 में पूर्ववर्ती श्रेणी 'I', 'II', 'III', और 'IV' का उल्लेख हो, उन्हें क्रमशः वर्ग 'क', 'ख', 'ग', और 'घ' पढ़ा जाए।

397  
(मुकुल रात्रा)

निदेशक

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग

(मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
3. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली ।
4. केन्द्र अन्वेषण ब्यूरो, नई दिल्ली ।
5. संसद पुस्तकालय, नई दिल्ली ।
6. सभी संघ शासित प्रशासक ।
7. लोक सभा/ राज्य सभा सचिवालय ।
8. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी अधिकारी एवं अनुभाग ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय।

10. विभाग की वेबसाईट पर इस कार्यालय जापन को अपलोड करने के अनुरोध के साथ एन आई सी, डीओपीटी।